






मु० न०:- ५५ / 2022

तारीखरजु:- 8/3/22

उनवान:- हरवीर बनाम कमलसिंह वगै०
दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
8/3/22	<p>वादी की ओर से श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 04.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्ज प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
4/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपर। प्रतिवादी न० 1, 2 की ओर से श्री लखनलाल मीना एड० ने कबलत नामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 3 चैरोकर सरकर उपर। पोसाखब कानून व्यवस्था में करौली पधारे है। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 11.5.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> कमलवीर</p>
11/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जकारान उपस्थित वास्ते जबाब दिनांक 15.6.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
15/6/22	<p>वकील पञ्जकारान उपर। प्रतिवादी न० 1, 2 की ओर से श्री लखनलाल एड० ने जबाब दावा ग्रभ काउटर क्लेम पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। नरुल वादी वकील को डिमाई गई। वास्ते जबाब काउटर क्लेम पत्रावली दिनांक 24.6.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"></p>

149597
8/3/22

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

2-25 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी के आदेश पर वादी वकील को पेश हो
 पत्रावली दिनांक 25-1-25
 को पेश हो

उप
759

3-25 वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी के आदेश पर वादी वकील को पेश हो
 पत्रावली दिनांक 25-1-25
 को पेश हो

उप
वाले

1-25 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष कारण उपरो
 वादी वकील को वादी पक्ष पेश करने के लिए
 कोर्ट में आदिनामा दायर। वादी पक्ष पत्रावली
 दिनांक 25-1-25 को पेश हो

उप
वाले

2-4-25 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष कारण
 उपस्थित। वादी वकील वादी पक्ष कोर्ट में
 कोर्ट में आदिनामा दायर। वादी पक्ष पत्रावली
 दिनांक 19/5/25 को पेश हो

उप

19-5-25 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष कारण
 उपस्थित। वादी पक्ष पत्रावली दिनांक
 पुनः इन्होंने के उपरान्त वादी वकील को
 साक्षात् दिखाई गई। वादी पक्ष वादी वकील
 कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ 2 बार साक्षात्
 दिखाई गई। इसके उपरान्त भी कोर्ट में
 उपस्थित नहीं हुआ। इससे वादी का दावा
 वादी की अज्ञानता के कारण दायर होने
 साक्ष्य के अभाव में। पत्रावली पेश
 दिनांक 25-1-25 को पेश हो